

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 135वीं बैठक दिनांक 11.02.2009 में लिये गये निर्णय/सुझाव का विवरण।

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1 135.1	कार्यकारी समिति की 134 वीं बैठक दिनांक 24.10.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट। कार्यकारी समिति की 132वीं बैठक दिनांक 29.08.08 के बिन्दु संख्या 53 में लिये गये निर्णय में टंकन त्रुटि से ख.नं. 13/94 के स्थान पर 43/94 व क्षेत्रफल 245.25 वर्गमीटर के स्थान 245.45 वर्गमीटर अंकित हो गया। अतः ख.नं. 43/94 के स्थान पर 13/94 एवं क्षेत्रफल 245.45 वर्गमीटर के स्थान पर 245.25 वर्गमीटर पढ़े जाने हेतु।	1. विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से 134वीं बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 2. कार्यकारी समिति की 134 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट पृथक से प्रस्तुत की जावे तथा भविष्य में कार्यकारी समिति की बैठक में पूर्व की बैठक के पालनार्थ लम्बित प्रकरणों की पालना रिपोर्ट पृथक एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत की जावें। बैठक में अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति की 132वीं बैठक दिनांक 29.08.08 के बिन्दु संख्या 53 में लिये गये निर्णय में टंकन त्रुटि से ख.नं. 43/94 के स्थान पर 13/94 व क्षेत्रफल 245.25 वर्गमीटर के स्थान 245.45 वर्गमीटर अंकित हो गया था। अतः ख.नं. 43/94 के स्थान पर 13/94 एवं क्षेत्रफल 245.45 वर्गमीटर के स्थान पर 245.25 वर्गमीटर पढ़े जावें, प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।		
2 135.2	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चक चन्दलाई नं. 1 तहसील चाकसू के खसरा नं. 28/71, 29/72, 30, 31, 32 किता 5 रकबा 1.82 हैक्टर ग्राम चक चन्दलाई नं. 2 तहसील चाकसू के खसरा नं. 80 से 90 किता 11 रकबा 1.81 हैक्टर ग्राम नाहरिया का वास तहसील चाकसू के खसरा नं. 663, 664, 715/742, 717 किता 4 रकबा 1.17 हैक्टर ग्राम नानकपुरा उर्फ हेमा की नांगल तहसील सांगानेर के खसरा नं. 127, 128, 157 से 161, 57/304, 89, 178, 220 किता 10 रकबा 1.75 हैक्टर चारों ग्रामों की कुल किता 30 कुल रकबा 6.55 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अग्रवाल)	जयपुर रीजन में अरबनाईजेबल सीमा से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में भू-उपान्तरण के प्रस्तावों पर विचार के दौरान महसूस किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे एवं बिखरे हुए भू-क्षेत्रों के भूमि उपान्तरण के कारण इन क्षेत्रों के जोनल व सैक्टर प्लान तैयार करने व उनके क्रियान्वयन में समस्याएं आयेगी। अतः निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय प्रयोजनार्थ उपान्तरण केवल उन मामलों में किया जाये जिनमें न्यूनतम 10 हैक्टर के क्षेत्र का उपान्तरण प्रस्तावित हो अथवा पूर्व में किये गये भू-उपयोग परिवर्तन के साथ लगते हुए क्षेत्र को मिलाकर कुल क्षेत्रफल न्यूनतम 10 हैक्टर हो जाये। संस्थानिक उपयोग हेतु भू-उपान्तरण के मामले उन परिस्थितियों में विचारार्थ लिया जाये जिनमें प्रस्तावित क्षेत्रफल संस्थान के लिये निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल अथवा उससे अधिक हो। ग्रामीण क्षेत्रों में भू-उपान्तरण के मामलों में भवन विनियमों के अनुसार प्रस्तावित उपयोग हेतु सड़क उपलब्ध हो अथवा प्रस्तावक द्वारा सड़क उपलब्ध करवायी जावे। प्रस्ताव पर विचार के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को उपरोक्तानुसार परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भू-उपान्तरण प्रस्तावों से संबंधित क्षेत्र का नक्शा जिसमें पूर्व में उपान्तरित भूमि तथा प्रस्ताव को दर्शाया गया हो, भी सलंगन किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
3 135.3	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदलाई के खसरा नं. 1406, 1489/6690, 3162, 3301, 6265, 6266, 6285, 6286, 6284, 6267, 6277/2, 6281, 6282, 6283, 1401/6642, 2926, 2927/2, 3351/6442, 4965/2, 2759/2, 2895, 2928, 2919/1, 2710/6671, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765 व 2842/1 कुल किता 30 कुल रकबा 5.79 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने बाबत। (श्री अशोक अग्रवाल)	निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 135.2 के निर्णयानुसार इस प्रकरण का भी परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	

2

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
4	135.4	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम चौसला तहसील चाकसू के खसरा नं. 188 से 191, 140, 141, 157, 187, 142, 158/1, 159 से 164, 166 से 170, 89/1, 90/1, 28, 29, 31/1, 53, 55, 407, 408, 409शा., 411, 413, 864, 869, 959, 973, 148 से 156, 158/2 किता 46 रकबा 9.75 हैक्टर तथा ग्राम थारलीपुरा तहसील चाकसू के खसरा नं. 557/1, 562, 567/1281, 602, 704, 706, 719, 1174, 98/1, 142, 143, 242, 267, 272, 273/1, 275/1275, 98, 100, 101, 106, 388, 389, 390, 391, 391/2, 394, 527, 1173, 1213, 1214, 467, 468, 455, 456, 457, 300 से 306, 481, 482, 391/1, 391/4, 563, 557 किता 48 रकबा 21.80 हैक्टर भूमि अर्थात् दोनों ग्रामों के कुल किता 94 रकबा 31.55 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में। (श्री अशोक अग्रवाल)	भवन विनियम अनुसार आवासीय योजना हेतु न्यूनतम 60 फीट की सड़क की उपलब्धता आवश्यक है। प्रकरण में प्रस्तावित योजना के लिये न्यूनतम 60 फीट की सड़क की उपलब्धता प्रस्तावित योजना के साईट प्लान में प्रदर्शित करते हुये प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
5	135.5	जविप्रा क्षेत्र में स्थित निजी खातेदार की योजना श्रीराम विहार के पुर्नगठित संख्या 1 से 4, 9 से 12 तक क्षेत्रफल 3001.94 वर्गगज एवं भूसं. 78 से 85 क्षेत्रफल 2883.68 वर्गगज का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से व्यावसायिक किये जाने बाबत्। (श्री अशोक अग्रवाल)	प्रस्तावित भूखण्ड के आवासीय क्षेत्र में होने के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों के भू-उपयोग तथा आवासीय क्षेत्र में 30 फीट सड़क पर व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के औचित्य का परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
6	135.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम सिरौली के खसरा नं. 2378 रकबा 0.83 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (मैसर्स रत्नावली कोलोनाईजर्स प्रा.लि.)	प्रस्तावित भूखण्ड के आवासीय क्षेत्र में होने के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों के भू-उपयोग तथा आवासीय क्षेत्र में 30 फीट सड़क पर व्यावसायिक उपान्तरण किये जाने के औचित्य का परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-9	
7	135.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 1025, 1027, 1028/2, 1043, 1044 कुल किता 5 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने के संबंध में। (श्रीमती गीता देवी)	ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ 0.61 हैक्टर भूमि उपान्तरण हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने पर प्रकरण खारिज किया गया।	निदेशक (आयोजना)/ जोन-11	
8	135.8	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-9 पत्रकार कालोनी योजना क्षेत्रफल 168.75 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण बाबत्।	प्रस्तावनुसार व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी-9 पत्रकार कालोनी योजना क्षेत्रफल 168.75 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण ब्याज पैनल्टी वसूल कर नियमितिकरण करने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	

22

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9	135.9	स्वप्न लोक आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी-147 के नियमितिकरण के संबंध में।	प्रस्तावनुसार भूखण्ड संख्या बी-147 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया। राशि 587 दिवस की देरी से जमा हुई है। 24 माह से कम अवधि के विलम्ब का होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक एफ10(58)बीडीएन/जविप्रा/जोन-5ए/83/439 दिनांक 16.09.1991 के अनुसार कार्यकारी समिति के क्षेत्राधिकार में है।	उपायुक्त जोन-12	
10	135.10	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 360 के नियमितिकरण के संबंध में।	प्रस्तावनुसार गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 360 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
11	135.11	तहसील सांगानेर के ग्राम बीलवांकला, दयालपुरा, मोहनपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील चाकसू के ग्राम सिमल्यावास वाटिका, नानचौराम, जयआनन्दपुरा, नाहरियों का बास एवं तहसील फागी के ग्राम डाबलाखुर्द में मिसिंग रोड लिंक के अन्तर्गत आ रही निजी खातेदारी की भूमि के अवाप्ति प्रस्ताव के क्रम में।	प्रस्तावनुसार कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन-11	
12	135.12	श्री नवल जैन की पुत्री कुमारी शिवानी जैन का टोंग्या हार्ट अस्पताल, जयपुर के चिकित्सक की सलाह अनुसार एस्कोर्ट अस्पताल, दिल्ली में कराये गये ईलाज की एवं ईलाज पर व्यय हुई राशि के पुनर्भरण की स्वीकृति बाबत।	प्रस्ताव पर कार्यान्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। विचार विमर्श उपरान्त यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में अनेक इस प्रकार के भी हैं जो केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अन्तर्गत अनुमोदित है। उक्त योजनान्तर्गत विभिन्न प्रकार के ईलाज के लिए व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की जाती है। यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अस्पतालों से भी केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर प्राधिकरण कर्मचारियों का ईलाज करने की सहमति मांगी जाये। जो अस्पताल ऐसी सहमति नहीं देते हैं, उनके अनुमोदन को रद्द कर दिया जावे। ऐसे अस्पताल जो केन्द्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजनान्तर्गत अनुमोदित नहीं हैं के प्रकरणों पर पुनः परीक्षण किया जावे, तथा अनुमोदित सूची में रखने पर इनके संबंध में भी दरों का निर्धारण CGHS पेटर्न पर किया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
13	135.13	भूखण्ड संख्या सी-70 महल योजना क्षेत्रफल 149.25 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण बाबत।	प्रस्तावनुसार भूखण्ड संख्या सी-70 महल योजना क्षेत्रफल 149.25 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण ब्याज पेनल्टी वसूल कर नियमितिकरण करने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
14	135.14	Agenda regarding Approval of Tender for the widening and Improvement of various sector roads in Sector-5, Zone-5, Jaipur.	Zonal Engineer-5 के प्रस्तुत प्रस्तावनुसार मै0 मदन लाल, रामेश्वर लाल से प्राप्त टेन्डर की नेगोसिएशन दर BSR से 19 प्रतिशत अधिक पर कुल राशि रु. 2,35,35,858.00 की निविदा को बिना शर्त के अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Eng.-5	
15	135.15	Agenda regarding Approval of Tender for the Development of Two Lanning of 40' & 60' wide sector roads in Sector-4 (Mahesh Nagar Area), Jaipur.	Zonal Engineer-5 के प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मै0 मदन लाल, रामेश्वर लाल से प्राप्त टेन्डर की नेगोसिएटड दर BSR से 16.99 प्रतिशत अधिक पर कुल राशि रु. 2,06,88,330.00 की निविदा को बिना शर्त के अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Eng.-5	

25

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
16	135.16	Regarding payments to officers, officials, Suppliers, Contractors etc. through bank or RTGS peocess.	कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि Receipt (प्राप्तियों) हेतु Online Payment सुविधा भी प्रारम्भ की जावे।	Director (Finance)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
17	135.17	Agenda regarding approval of tender for the work of "Improvement & Widening of neel Padam Sarover Marg 80' Sector road, Zone-7, JDA, Jaipur."	Zonal Engineer-7 के प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार approval of proposed rate of counter offer for part on BSR 2006 @ 16.22% above and for Non BSR item @ Rs. 1690/- each total amounting to Rs. 2,40,30,682/- to be given to single tenderer मै० राजेन्द्र सिंह भाम्बू की दर का बिना शर्त के अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Eng.-7	
18	135.18	Agenda Regarding approval of tender for the Bituminous work from Transport Nagar to Ramgarh Mod on Delhi byepass road, Jaipur. (Ch-0 Mtr. To Ch-6000Mtr.)	Zonal Engineer-TR के प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मै० आर.एस.भाम्बू से प्राप्त टेन्डर की नेगोसिएशन दर BSR से 25.51 प्रतिशत अधिक की राशि रु. 7,11,41,151.46 की निविदा को बिना शर्त के अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Eng.-TR	
19	135.19	Agenda Regarding approval of tender for the Bituminous work from Ramgarh Mod to Kunda on Delhi byepass road, Jaipur. (Ch-6000 Mtr. To Ch-13450 Mtr.)	Zonal Engineer-TR के प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मै० वी.पी.मोदी से प्राप्त टेन्डर की नेगोसिएशन दर BSR से 25.49 प्रतिशत अधिक की राशि रु. 6,77,65,686.74 की निविदा को बिना शर्त के अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।	Zonal Eng.-TR	
20	135.20	Approval for the counter offer of tender for the work of Construction of road and remaining work of footpath & median from RIICO Circle to R.O.B. Jagatpura, Jaipur.	Zonal Engineer-10 के प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मै० मदन लाल रामेश्वर लाल से प्राप्त टेन्डर की दर BSR से 19.91 प्रतिशत अधिक की राशि रु. 1,76,59,770.43 की निविदा को बिना शर्त के अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे प्रकरणों में डिफाल्टर ठेकेदारों को कार्य अधुरा छोड़ने पर Blacklist किये जाने के निर्देश दिये गये।	Zonal Eng.-10	
21	135.21	Approval for the counter offer of tender for the work of Improvement & Construction of road by BM, DBM, SDBC, Footpath and median work on available land from RIICO Circle to R.O.B. Jagatpura, Jaipur.	Zonal Engineer-10 के प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मै० मदन लाल रामेश्वर लाल से प्राप्त टेन्डर की दर BSR से 22.06 प्रतिशत अधिक की राशि रु. 1,78,28,690.23 की निविदा को बिना शर्त के अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया। ऐसे प्रकरणों में डिफाल्टर ठेकेदारों को कार्य अधुरा छोड़ने पर Blacklist किये जाने के निर्देश दिये गये।	Zonal Eng.-10	
22	135.22	मजार डेम से कॉवटिया सर्किल व शास्त्री नगर सर्किल तक पेयजल लाइनों को DI (K-7) पाईप लाईन द्वारा बदलने का कार्य।	जोनल अभियन्ता (पीएचई-11) के प्रस्ताव अनुसार मै० गुलाब चन्द केवलचन्द की टेन्डर दर की राशि Part 'A' 14.90% Above & Part 'B' 14.90% Above on BSR items राशि रुपये 3,62,66,024.88 की निविदा को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।	जोनल अभियन्ता (पीएचई-11)	

27

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
23	135.23	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 242 लोहामण्डी (माचेडा) योजना क्षेत्रफल 324.00 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण बाबत।	प्रस्तावनुसार व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 242 लोहामण्डी (माचेडा) योजना क्षेत्रफल 324.00 वर्गमीटर की राशि देरी से जमा होने के कारण ब्याज पैनल्टी वसूल कर नियमितिकरण करने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
24	135.24	जविप्रा की मुख्य सिवरेज लाईन बिछाने हेतु ग्राम गोनेर के अन्तर्गत जविप्रा अधिनियम की धारा 44 के तहत समझौते द्वारा भूमि प्राप्त भूमि के बदले 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक विकसित भूखण्ड मुआवजा स्वरूप आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार जविप्रा की मुख्य सिवरेज लाईन बिछाने हेतु ग्राम गोनेर के अन्तर्गत जविप्रा अधिनियम की धारा 44 के तहत समझौते द्वारा प्राप्त भूमि के बदले 20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक विकसित भूखण्ड मुआवजा स्वरूप आवंटन करने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-9	
25	135.25	Civil work for beautification of Jawahar Nallah & open air theatre adjoining of Smriti Van area.	प्रकरण स्थगित किया गया। प्रकरण को पृथक-पृथक कार्यों के अनुसार विभाजित कर आगामी बैठक में प्रारूप में प्रस्तुत करें।	Zonal Eng.-1	
26	135.26	Agenda Regarding Approval of counter offer and tender for the work of P/L/J of providing lying and Jointing of uPVC & DI pipe line for water supply scheme Parth Nagar.	Zonal Eng.-PHE-I/ C.E. (PHE) के प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निर्णय लिया गया कि :- i. Approval of counter offer @ Part A 25.50% above G-Schedule and Part B @ 25.50 % above G-Schedule total amounting to Rs. 2,72,13,039.00 to be placed to lowest bidder M/s Gulabchand kewal and if it is not accepted by him then to make counter offer to L-2 in order of initial bidding. ii Approval of tender in favour of bidder who accept the counter offer @ part A 25.30 % above G-Schedule and part B @ 25.50% above G-Schedule total amounting to Rs. 2,72,13,039.00	Zonal Eng.-PHE-I/ C.E. (PHE)	
27	135.27	मास्टर विकास योजना 2011 के अनुरूप गांधी पथ को 80 फीट चौड़ा करने हेतु डॉ. मोहम्मद हबीब और श्री मोहम्मद अयाज एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के मध्य निष्पादित मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वीकृति के संबंध में।	उपायुक्त जोन-7 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरण एवं डॉ. मोहम्मद हबीब एवं श्री मोहम्मद अयाज के मध्य 100/- मूल्य के स्टाम्प पर दिनांक 21.11.08 को निष्पादित मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) की पुष्टि की गई।	उपायुक्त जोन-7	
28	135.28	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने के लिए नीति।	विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क) द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा को निम्न संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया :- बिन्दु सं. 1 व 3 :-दूरदर्शन/24 घंटे के टी.वी.चैनल के माध्यम से अपना कार्यक्रम प्रसारित करने वाले निजी निर्माताओं की योग्यता के तहत उन्हें न्यूनतम पाँच वर्ष का कार्यक्रम तैयार कर प्रसारित करने का अनुभव होना चाहिए तथा इस अवधि में प्रतिवर्ष कम से कम दो कार्यक्रम अवश्य ही प्रसारित हुए हो अथवा उनका कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा गत एक वर्ष में जारी टीआरपी के आधार पर प्रथम दस कार्यक्रमों में शामिल होने पर ही विज्ञापन हेतु पात्र माना जायें। दूरदर्शन तथा अन्य न्यूज चैनलों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। बिन्दु सं. 2 :-दूरदर्शन/टी.वी.चैनल पर निजी निर्माताओं द्वारा प्रसारित उनके कार्यक्रम में एक वर्ष की अवधि में अधिकतम 13 एपिसोड के लिये ही विज्ञापन दिया	विशेषाधिकारी (जनसम्पर्क)	

ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
		जाये, विशेष परिस्थितियों में आयुक्त जविप्रा इस संख्या को बढ़ा सकेगा। अधिकतम दरें प्राईम टाईम में 1000/- प्रति 10 सैकण्ड एवं नान प्राईम टाईम में 750/- प्रति 10 सैकण्ड होगी। बिन्दु सं. :-5 निजी निर्माताओं/न्यूज चैनलों पर प्रति ऐपिसोड अधिकतम 30 सैकण्ड का विज्ञापन ही दिया जाये। बिन्दु सं. 7 :-विभिन्न एफएम रेडियो चैनलों पर विज्ञापन अधिकतम 350/-रु. प्रति दस सैकण्ड की दर से दिये जायें। दूरदर्शन/टी.वी./एफ.एम. चैनल हेतु निर्धारित दर दिनांक 01.04.2010 तक प्रभावी रहेगी तथा वर्ष में एक बार आवश्यकतानुसार उपरोक्त स्वीकृत दर को रिव्यू कर अधिकतम 10 प्रतिशत बढ़ाई जा सकेगी।		
29	135.29	कनिष्ठ लेखाकारों के रिक्त पदों के विरुद्ध लेखाकार लेने हेतु।	निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा प्राधिकरण में कनिष्ठ लेखाकार उपलब्ध कराने में आ रही समस्या को देखते हुये लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार के पद पर निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा उपलब्धता अनुसार पदस्थापन का निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था पूर्णतया अस्थायी रहेगी, जब तक कनिष्ठ लेखाकार नहीं मिल जाते।	अति. आयुक्त (प्रशासन)
30	135.30	आनंद लोक-11 आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 559 के नियमितिकरण के संबंध में।	प्रस्तावनुसार आनंद लोक-11 आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 559 का नियमानुसार ब्याज व पेनल्टी वसूल कर नियमित करने का निर्णय लिया गया। राशि 366 दिवस की देरी से जमा हुई है। 24 माह से कम अवधि के विलम्ब का होने के कारण कार्यालय आदेश क्रमांक एफ10(58)वीडीएन/जविप्रा/जोन-5ए/83/439 दिनांक 16.09.1991 के अनुसार कार्यकारी समिति के क्षेत्राधिकार में है।	उपायुक्त जोन-12


 सदस्य सचिव
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 135वीं बैठक दिनांक 11.02.09 को साय: 04.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री उमेश कुमार, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री उमेश कुमार	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	सुश्री रेखा गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्री पी.के.पाण्डेय	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्रीमती कौमुदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री ओ.पी.दोराया	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री एस.के.पंचोली	निदेशक (प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्री एम.एल.मीणा	ए.सी.ई.	पीडब्ल्यूडी	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री डी.पी. बसंल	टीए.टू.एस.ई.	पी.एच.ई.डी.	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री अजीत सक्सेना	अधिशाषी अभियन्ता	जेवीवीएनएल	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री आर.सी.शर्मा	आयुक्त	नगर निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री बी.एल.वैरवा	निदेशक (अभियांत्रिकी)	आर.टी.डी.सी.	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्रीरामप्रकाश शर्मा	उप अधीक्षक	पुलिस मुख्यालय	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
13	श्री एन.एल.मीणा	अति.आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्रीमती सीमा सिंह	अति.आयुक्त (पश्चिम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्रीमती दुर्गा जोशी	अति.आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री एन.सी.माथुर	अति० मुख्य अभियन्ता- II	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री ललित शर्मा	अति० मुख्य अभियन्ता- I	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री एस.मित्रा	उपायुक्त जोन-7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री इकबाल खॉन	उपायुक्त जोन-8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री हर्देश शर्मा	उपायुक्त जोन-9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
21	श्री अजय असवाल	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
22	श्री बी.एल.गोयल	उपायुक्त जोन-11	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
23	श्री प्रभात गोस्वामी	ओएसडी (पीआर)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	


सचिव,
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम) / अति.निदे. (राजस्व एवं स.नि.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	उपायुक्त (समन्वय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सम्बन्धित अधिकारी आगामी बैठक से पूर्व पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।


सचिव,
जविप्रा, जयपुर